संख्या-80-सी०एम०/47—का-4-94-15/10/94

प्रेषक,

श्री आर० बी० भाष्कर,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन,

2—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०।

लखनऊः दिनांक 24 मार्च, 1994।

विषयः— उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ा जाना।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग—4

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सभी कार्यालयों में उर्दू में दिये गये प्रार्थना-पत्रों को अनिवार्य रूप में स्वीकार किया जाय तथा इन प्रार्थना-पत्रों का हिन्दी में अनुवाद कराकर उस पर उसी प्रकार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय जिस प्रकार अन्य प्रार्थना-पत्रों पर की जाती है। तद्नुसार प्रत्येक विभाग के प्रत्येक कार्यालय में (विकास खण्ड स्तर से लेकर मुख्यालय तक) एक उर्दू अनुवादक की नियुक्ति की जाएगी।

2—अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार अपने-अपने विभाग के विकास खण्ड स्तर से लेकर मुख्यालय तक के कार्यालयों में उर्दू अनुवादक के पदों का आंकलन करके पद सृजन की कार्यवाही वित्त विभाग के परामर्श से करवाकर उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से कार्मिक अनुभाग-4 को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आर० बी० भाष्कर,

सचिव।

संख्या-80-सी० एम० (1)/47-का-4-94-15/10/94, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त मण्डलायुक्त उ० प्र०।

2— समस्त जिलाधिकारी, उ० प्र०।

3— सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

के० एम० लाल,

संयुक्त सचिव।